राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग
(पंचायती राज)

सं. एफ.4 (12) अमे/रूल्स/लीगल/पी.आर./2013/629 जयपुर, दिनांक :11.7.2013

अधिसूचना

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** – (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज(चतुर्थ संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 259 का संशोधन.**– राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 259 के विद्यमान उप–नियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप–नियम (8) जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"(8) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सम्यक् रूप से स्वीकृत किन्हीं पदों पर अनियमित रूप से नियुक्त और 10.04.2006 को किसी न्यायालय या अधिकरण के मध्यक्षेप के बिना, दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके और राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2013 के प्रारम्भ की तारीख को इस रूप में लगातार कार्य कर रहे व्यक्ति संबंधित जिला परिषदों की जिला स्थापन समिति द्वारा छांटे जायेंगे परन्तु यह कि उनकी प्रारम्भिक अनियमित नियुक्ति की तारीख पर नियमानुसार वे नियुक्ति के लिए पात्र थे और छंटनी के समय रिक्ति उपलब्ध है। नियुक्ति प्राधिकारी उस व्यक्ति के नियुक्ति आदेश जारी करेगा जो छंटनी समिति द्वारा उपयुक्त न्यायनिर्णित किया गया है और नियुक्ति ऐसे नियुक्ति आदेश के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी।"

3. अनुसूची–। का संशोधन.– उक्त नियमों के अध्याय–8 की अनुसूची–। में विद्यमान क्रम संख्यांक–1 के पश्चात् और विद्यमान क्रम संख्यांक–2 और उसकी प्रविष्टियों के पूर्व निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 1–क अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"

1 क.	कार्यालय सहायक	—	100%	—	वरिष्ठ लिपिक	स्तंभ–6 में वर्णित पद पर पांच वर्षो का अनुभव	—

"

राज्यपाल के आदेश से,

(के. एल. बाडेटिया)
उप शासन सचिव।

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र(असाधारण) के भाग 4(सी)(जी.एस.आई.आर.) के उपखण्ड 1 में प्रकाशनार्थ प्रेषित है ।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज0, जयपुर ।
3. निजी सचिव, राज्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज0, जयपुर ।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज0, जयपुर ।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राज0, जयपुर ।
8. निदेशक पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
9. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय, पंचायती राज विभाग / ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर ।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त, राजस्थान ।
11. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त, राजस्थान।
12. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव ।